

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

क्रमांक:प.12(5)(1)(23)नंदीशाला/भूमि आवं./राजस्व/18/5281

दिनांक:31 अगस्त,2018

✓ उप निदेशक,

सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग,

सवाई माधोपुर

विषय:- ग्राम बहरावण्डा कलॉ में नन्दी गौशाला हेतु भूमि आवंटन बाबत।

विषयान्तर्गत राजस्व (ग्रुप-3) विभाग द्वारा दिनांक 13.04.18 को जारी 28 बिन्दुओं की चैक लिस्ट की सूचना जिला कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः आप संलग्न 28 बिन्दुओं की चैक लिस्ट जिला कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करवा कर शीघ्र अवगत करावें।

संलग्न-चैक लिस्ट

(महेन्द्र लोढ़ा),
अति०जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

क्रमांक:प.12(5)(1)(23)नंदीशाला/भूमि आवं./राजस्व/18/5282


दिनांक:31 अगस्त,2018

प्रतिलिपि-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अति०जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

| | | |
|----|--|--|
| 1 | जिले का नाम | सवाई माधोपुर |
| 2 | संस्था का नाम/पता व विवरण | नदी गाँवशाह 24-5/19 |
| 3 | संस्था का राजस्व/प्रमाण पत्र व अन्य विवरण | सालान है |
| 4 | संस्था का मत व वर्ष का आय-व्यय का विवरण | सालान है |
| 5 | भू-स्वतंत्रता प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट निर्माण लागत एवं आर्थिक संश्लेषण का विवरण | - |
| 6 | क्या संस्था संस्था को उचित क्षेत्र में अनुमति है? उसका विवरण | हाँ |
| 7 | संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की अभिशंका/अभिमत एवं मान्यता | - |
| 8 | संस्था द्वारा चौकरी से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य | - |
| 9 | क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हाँ तो उसका विवरण | नहीं |
| 10 | परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा? व क्या लाभ मिलेगा? | सभी समाज |
| 11 | संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण-राजस्व प्राय का नाम खण्डा विवरण, क्षेत्रफल गय जगाबंदी व राजस्व नक्शे के | सालान है 26 3 2 2 2 1 5 2 1 5 की 1 1 5 |
| 12 | संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर | - |
| 13 | आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण | - |
| 14 | प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत | - |
| 15 | चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर | - |
| 16 | क्या प्रस्तावित भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचारधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है? | नहीं है |
| 17 | भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी) | - |
| 18 | क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है? | श्री नदी व नदी गाँवशाह (नदी गाँवशाह 24-5/19) है |
| 19 | यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण | नहीं गाँवशाह में आवंटित है |
| 20 | क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है? | नहीं |
| 21 | भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ सालान रिजॉर्ड जगाबंदी-राजस्व नक्शा-तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट | सालान है |
| 22 | क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह भूमि है? यदि हाँ तो प्राय पंचायत की राय/अभिधंधा सालान है या नहीं? चारागाह भूमि के धातिपूर्ति के प्रस्ताव | सालान है |
| 23 | यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैरीफेरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी संलग्न है-? | - |
| 24 | भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय | - |
| 25 | यदि मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है? | - |
| 26 | प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित क्षेत्रों की तो नहीं है | नहीं |
| 27 | किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है? | - |
| 28 | विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना/प्रयोजन जिला कार्यालय की चैक साईट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किये जाने का विवरण। | जिला कार्यालय पर प्रस्तावित कर नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करवाया गया है |

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्सम्बन्धी संतुष्टी कर ली गई एवं तदनुसार उचित प्रकरण में भू-आवंटन करने की अभिशंका की जाती है।



तहसीलदार
खण्डार


जिला कमिश्नर
सवाई माधोपुर